रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235957 CG-DL-E-21052022-235957

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 21, 2022/वैशाख 31, 1944 NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21, 2022/VAISAKHA 31, 1944

No. 360]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2022

सं. 26/2022-सीमाश्ल्क

सा.का.िन. 378(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.िन. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- सारणी में, -
 - (1) क्र. सं. 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"141 क	2701	(क) एन्थ्रेसाइट/पुलवराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) कोयला (ख) कोकिंग कोल	शून्य	-	-

3426 GI/2022 (1)

	141 ख.		कोयले का कोक और सेमी-कोक, लिग्नाइट का या पीट का, चाहे जमा हुआ हो या नहीं	शून्य	-	-
Ī	141 ग	2710	नेफ्था	1%	-	-";

(2) सं. 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"191 क.	2910	नैप्थमेथिलॉक्सिरेन (प्रोपलीन ऑक्साइड)	2.5%	-	-";
	20				
	00				

- (3) क्रम संख्या 267 के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी माल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (4) सं. 364 ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"364 घ	7202 60 00	फेरो-निकेल	शून्य	-	-";

2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिसूचना 22 मई, 2022 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/12/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संसख्यांक 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक 02/2022 सीमाशुल्क, तारीख 1 फ़रवरी, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 76(अ), तारीख 1 फ़रवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2022

No. 26/2022-Customs

G.S.R. 378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- I. in the Table. -
 - (1) after S. No. 141 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"141A	2701	(a) Anthracite/Pulverized coal injection	Nil	-	-
		(PCI) coal;			
		(b) Coking coal			
141B.	2704	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated	Nil	-	-
141C	2710	Naphtha	1%	1	-";

(2) after S. No. 191 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
"191A.	2910 20 00	Methyloxirane (propylene oxide)	2.5%	-	-";	

- (3) against S. No. 267, in column (3), for the entry, the entry "All goods" shall be substituted;
- (4) after S. No. 364C and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"364D.	7202 60 00	Ferro-nickel	Nil	-	-";

2. This notification shall come into effect on the 22nd day of May, 2022.

[F. No. 354/12/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 02/2022-Customs, dated the 1st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 76 (E), dated the 1st February, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2022

सं. 27/2022-सीमाश्ल्क

सा.का.िन. 379(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.िन. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में क्रमांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"10 क.	2701	(क) एन्थ्रेसाइट/पुलवराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) कोयला (ख) कोकिंग कोल	शून्य";

2. यह अधिसूचना 22 मई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/12/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 42/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 624 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2022

No. 27/2022-Customs

G.S.R. 379(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 10 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"10A	2701	(a) Anthracite/Pulverized Coal Injection (PCI) coal	Nil";
		(b) Coking coal	

2. This notification shall come into effect on the 22nd day of May, 2022.

[F. No. 354/12/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No.11/2021-Customs,dated the 1st day of February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 69(E)., dated the 1st day of February, 2021 and last amended vide notification No. 42/2021-Customs, dated the 10th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 624(E)., dated the 10th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2022

सं. 28/2022-सीमाशुल्क

सा.का.िन. 380(अ).—जबिक, केंद्र सरकार संतुष्ट है कि कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया या बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक बनाती हैं।

अब, इसलिए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा निर्देश देती है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा, अर्थात :-

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, -

- (1) क्रमांक 21 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "50%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (2) क्रमांक 22 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "50%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (3) क्रमांक 43 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, क्लैड, प्लेटेड या लेपित " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (4) क्रमांक के बाद संख्या 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियां, निम्नलिखित क्रमांक. संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थातु:-

(1)	(2)	(3)	
"48क.	7219	600 मिमी या उससे अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के फ्लैट-	15%
		रोल्ड उत्पाद	
48ख.	7222	स्टेनलेस स्टील के अन्य बार और छड़; स्टेनलेस स्टील के कोण, आकार	15%
		और खंड	
48ग.	7227	अन्य मिश्र धातु इस्पात के अनियमित घाव कॉइल में बार और रॉड,	15%";
		हॉट रोल्ड,	

2. यह अधिसूचना 22 मई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 354/12/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2022

No. 28/2022-Customs

G.S.R. 380(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that export duty should be levied or increased on certain articles and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Customs Tariff Act, the Central Government, hereby directs that the Second Schedule to the Customs Tariff Act shall be amended in the following manner, namely:-

In the Second Schedule to the Customs Tariff Act, -

- (1) against Sl. No. 21, for the entry in column (4), the entry "50%" shall be substituted;
- (2) against Sl. No. 22, for the entry in column (4), the entry "50%" shall be substituted;
- (3) against Sl. No. 43, for the entry in column (3), the entry "Flat rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated" shall be substituted;
- (4) after Sl. No. 48 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"48A.	7219	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more	15%
48B.	7222	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel	15%
48C.	7227	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel	15%";

2. This notification shall come into force on the 22nd day of May, 2022.

[F. No. 354/12/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2022

सं. 29/2022-सीमाशुल्क

सा.का.िन. 381(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 जो संख्यांक सा.का.िन. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

- (i) क्रम संख्या 20ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 23 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "45%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 48 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "15%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रमांक 54 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "15%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रमांक 55 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "15%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"56	7210	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के प्लैट-रोल्ड उत्पाद, 600 मिमी या उससे अधिक की चौड़ाई के, क्लैड, प्लेटेड या लेपित	15%
56क	7212	लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, क्लैड, प्लेटेड या लेपित	शून्य";

(vii) क्रम संख्या 57 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "15%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (viii) क्रमांक 58 के सामने, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "15%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 2. यह अधिसूचना 22 मई, 2022 को प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/12/2022-टीआरय्]

नितिश कर्नाटक. अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, संख्यांक 27/2011 सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2011, संख्यांक सा.का.िन. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना संख्यांक 10/2022- सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.िन. 84(अ), तारीख 1 फरवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2022

No. 29/2022-Customs

G.S.R. 381(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2011- Customs dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, namely:-

In the said notification, in the Table,

- (i) S. No. 20A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) against S. No. 23, in column (4), for the entry, the entry "45%" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 48, in column (4), for the entry, the entry "15%" shall be substituted;
- (iv) against S. No. 54, in column (4), for the entry, the entry "15%" shall be substituted;
- (v) against S. No. 55, in column (4), for the entry, the entry "15%" shall be substituted;
- (vi) for S. No. 56 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"56.	7210	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated	
56A.	7212	Flat rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated	Nil";

- (vii) against S. No. 57, in column (4), for the entry, the entry "15%" shall be substituted;
- (viii) against S. No. 58, in column (4), for the entry, the entry "15%" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into effect on the 22nd day of May, 2022.

[F. No. 354/12/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011 and last amended *vide* notification No. 10/2022-Customs, dated the 1st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 84(E), dated the 1st February, 2022.